

राजशिष्ठ/उपोस/फ-३/यूपी-४१९/२००१/ ९६७ - ९७२-१०३०

दिनांक : 21.05.2001

भारत के राजपत्र भाग-३, खण्ड-४ में प्रकाशनार्थ

आदेश

एडवाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एन.एच.-२४, दिल्ली हामुड रोड, पोस्ट- आध्यात्मिक नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को समिति कार्यालय के आदेश ब्रमांक एफ-३/यूपी- ४१९/ बीएड/2000/5992 दिनांक ८.८.२००० के द्वारा बीएड पाठ्यक्रम की ६० सीटों की संपर्क मान्यता सत्र 2000-2001 से प्रदान की गई थी। समिति कार्यालय के उक्त आदेश के विशेष संस्था ने परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली में याचिका दायर की थी। परिषद् मुख्यालय ने याचिका पर उक्त आदेश के विशेष संस्था को आदेश दिनांक १.२.२००१ के द्वारा सत्र 2000-2001 के लिए बीएड पाठ्यक्रम की १२० सीटों की मान्यता प्रदान की थी तथा सत्र 2000-2001 के उपरांत संस्था को मान्यता हेतु उत्तर क्षेत्रीय समिति को अनुरोध करने के लिए लिखा था। परिषद् मुख्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक १.२.२००१ के परिवेश में संस्था के प्रबलण पर उत्तर क्षेत्रीय समिति की ३३ वीं बैठक में विचार किया गया तथा निर्णय लिया गया कि सत्र 2001-2002 के लिए १२० सीटों की मान्यता पर विचार हेतु संस्था का मूल्यांकन करा लिया जाए तदुपर्याप्त ही प्रकरण को समिति की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

समिति के निर्णयानुसार संस्था का दिनांक 24.4.2001 को मूल्यांकन कराया गया था तथा संस्था के प्रबलण पर उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक १०-११ मई, २००१ को मध्यज तुर्ह ३४ वीं बैठक में विचार किया गया। समिति ने प्रबलण पर गहराई से विचार कर मिर्णय लिया कि संस्था में ६० सीटों के लिए ही परिषद् मानदण्डों की पूर्ति नहीं होती है अतः अतिरिक्त ६० सीटों की मान्यता सत्र 2001-2002 से अस्वीकार कर दी जाए।

समिति के निर्णयानुसार एडवाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एन.एच.-२४, दिल्ली हामुड रोड, पोस्ट- आध्यात्मिक नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के बीएड पाठ्यक्रम की अतिरिक्त ६० सीटों की मान्यता सत्र 2001-2002 से अस्वीकार की जाती है तथा संस्था एवं संबंधित अभिनवण औ वह निर्देश दिया जाता है कि संस्था में बीएड पाठ्यक्रम में समिति कार्यालय के आदेश दिनांक ८.८.२००० के द्वारा स्वीकृत सीटों से अधिक सीटों पर प्रवेश नहीं करें यदि संस्था वा कार्यालय के आदेश दिनांक ८.८.२००० के द्वारा स्वीकृत सीटों पर प्रवेश करता है तथा उन छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनको बीएड पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करती है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा १७ (५) के तहत इन छात्रों को प्रदत्त बीएड की उपाधि केन्द्र सरकार या कोई भी राज्य सरकार या किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय, अन्य शैक्षणिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो या रोजगार के लिए वैध योग्यता नहीं मानी जाएगी। यदि संस्था यहे तो इस आदेश के विरुद्ध राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

अधिनियम 1993 की धारा 18 के अधीन परिणद मुख्यालय में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय, नई दिल्ली के समधा अपील कर सकती है अपील के संदर्भ में विशा-निदेश आदेश के साथ संलग्न किए जा सकते हैं। इस आदेश का औपचारी अनुवाद अलग से शीघ्र जारी किया जा रहा है।

आज से

(आर० डी० मीना)

क्षेत्रीय निदेशक

प्रति—

प्रबन्धक

भारत सरकार, प्रकाशन विभाग

रिविल लाइन्स, दिल्ली- 110054

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन सचिवालय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।
3. कुल सचिव, चौथी चरण सिंह निश्चविद्यालय, मैरठ, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव राजिन, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिणद, नई दिल्ली- 110016
5. प्राचार्य, एडकांस इंस्टीट्यूट ऑफ ऐमेजेंट, प्ल.एच.-24, दिल्ली हायुड रोड, पोर्ट- आध्यात्मिक नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश।
6. कम्प्यूटर सेल, उत्तर द्रोगीय समिति, जयपुर।

क्षेत्रीय निदेशक